न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

17

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2014 जिला–बिदिशा निग-1387-I-14

श्री दिवाकर दीक्षित (व.) द्वारा आज दि. 30-4-14 को प्रस्तुत

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. घनश्याम पुत्र श्री मुंशीलाल
2. प्राण सिंह पुत्र मुंशीलाल
3. पान बाई पुत्री मुशीलाल निवासीगण ग्राम रोशन पिपरिया तहसील कुरवाई जिला बिदिशा (म.प्र.)

—— आवेदकगण

विरूद्ध

सोमा पुत्र श्री नत्थू ग्राम रोशन पिपरिया तहसील कुरवाई जिला बिदिशा (म.प्र.)

—— अनावेदक

दिवाकर दीक्षित
अभि.
28-4-14

न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक /101/अपील/2011–12 पारित आदेश दिनांक 25.08..2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

(13)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1387–एक/2014 जिला विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04–06–2014	आवेदक अधिवक्ता अनुपस्थित । 2– प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण कमांक 101/अपील/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 25–8–2012 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है । अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि तीनों न्यायालयों द्वारा प्रकरण में समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये है तथा इस न्यायालय में प्रकरण विलम्ब से प्रस्तुत किया गया तथा विलम्ब का कारण भी समाधान कारक नहीं है । अतः यह निगरानी प्रथमदृष्ट्या आधारहीन व अवधि बाह्य होने से इसी स्तर पर अग्राह्य की जाती है । प्रशासकीय सदस्य	